(163)

H-N 6

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 13/2013–14

मथाई मुर्मू .....अपीलकर्ता

बनाम

ईशाक सोरेन एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

29/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 13/2013–14 मथाई मुर्मू बनाम् ईशाक सोरेन एवं अन्य, मौजा अम्बाजोड़ा, अंचल शिकारीपाड़ा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान मथाई मुर्मू थे। उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0डी0 वाद सं0 12/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 31.07.1985 को मौजा के प्रधान पद से बर्खास्त किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध में माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 269/1985–86 दायर किया गया है तथा माननीय आयुक्त द्वारा दिनांक 14.01.1986 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया है एवं वाद लंबित है।

इसी बीच उत्तरकारी द्वारा निम्न न्यायलय में मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु धारा 06 के अन्तर्गत यह कहकर आवेदन दाखिल किया गया कि वे मौजा के पूर्व प्रधान वंको सोरेन के वंशज है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया। इस पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंतिम प्रधान के बर्खास्तगी के बाद मौजा खास हो जाता है तथा उत्तरकारी को धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान नियुक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंतिम प्रधान की बर्खास्तगी उपायुक्त द्वारा किया जा चुका है। अपर कोर्ट में दायर अपील में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। गैंजर प्रधान के आधार पर धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त हो सकती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान को प्रधानी पद से बर्खास्त किया जा चुका है। प्रधान के बर्खास्तगी के पश्चात मौजा को खास घोषित किया जाता है एवं मौजा का खास प्रभार अंचल अधिकारी द्वारा लिया जाता है तथा लगान आदि की वसुली की जाती है। प्रधान की बर्खास्तगी के पश्चात मौजा में

प्रधान की बहाली खास मौजा की तरह धारा 05 के अन्तर्गत दो–तिहाई रैयतों की सहमति के आधार पर की जाती है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा मौजा के प्रधान की नियुक्ति गैंजर प्रधान के वंशज को धारा 06 के अन्तर्गत किया गया है। जो गलत है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि मौजा के प्रधान की नियुक्ति सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।